राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–09 (लो0सू0अ0)/2023–24

श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
12.04.2023	श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी, बी॰–2/डी॰ अलखराज अपार्टमेंट पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड, (पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास), पटना–800001 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–03.04.2023 इस कार्यालय में दिनांक–11.04.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–52F 766600 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलार्थी श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना को दिया था, परंतु सूचना लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–महामहिम राज्यपाल के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही श्री उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'छ' दिनांक–21.03.2023 की प्रति जो लोक सूचना पदाधिकारी को संबोधित है, भी संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना से सूचना हेतु मांगे गये आवेदन दिनांक–21.03.2022 के आलोक में की गयी कार्रवाई का प्रतिवेदन की मांग करे। अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–27.04.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 12/4/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–09 (लो०सू०अ०)/2023–24

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
27.04.2023	दिनांक-12.04.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-आर.टी.आई./एम.यू.-37/2023-55/रा.स.(III) दिनांक-31.03.2023 के माध्यम से अपीलार्थी श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी को यह सूचना भेजी है कि मामला मगध विश्वविद्यालय, बोध गया से संबंधित होने के कारण इसे लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को भेजा जा चुका है। मामला मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के क्षेत्राधिकार में रहने के कारण अपीलार्थी द्वारा दायर प्रपत्र 'क' दिनांक-21.03.2023 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया को भेजी जा चुकी है। अतः सूचना लोक सूचना पदाधिकारी, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के स्तर से प्राप्त की जानी है तथा सूचना नियत अवधि में प्राप्त नहीं होने अथवा असंतुष्ट होने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया के समक्ष प्रथम अपील दायर किया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री रवि शंकर सिंह जाहन्वी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर प्रथम अपील को अस्वीकृत किया जा सकता है। तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें। 27/4/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी –सह– प्रथम अपीलीय प्राधिकार	